बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि.प्रा.(II) BCST- व[1] –4/2011– /पटना, दिनांक

सेवा में,

**महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार**
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

**विषय**– गया में तारामंडल के निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृत राशि रू. 57.60 लाख (संतावन लाख साठ हजार रूपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2018–19 में परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेशः– **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–831, दिनांक 28.03.2018 के द्वारा गया में तारामंडल के निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए भारत सरकार का उपक्रम National Council of Science Museums (NCSM) को परामर्शी मनोनित करने की स्वीकृति तथा उक्त कार्यों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु अनुमानित कुल पूँजीगत लागत रू. 28.80 करोड़ (अठाईस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र का 2 प्रतिशत (2%) राशि अर्थात रू. 57.60 लाख (संतावन लाख साठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. राज्य सरकार ने गया में तारामंडल के निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृत राशि रू. 57.60 लाख (संतावन लाख साठ हजार रूपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2018–19 में परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त विमुक्त राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष– 2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघुशीर्ष– 004–अनुसंधान, माग संख्या–43, उपशीर्ष–0101– बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र/इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर प्लेनेटोरियम, पटना" के अधीन 28 03 कन्सल्टेंसी विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43–2203000040101 है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (निदेशालय), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

5. इस राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. उक्त राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगी।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 वि., दिनांक 31.05.2017 में अंकित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. परियोजना निदेशक, बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, पटना द्वारा प्राप्त उक्त राशि का अभिश्रव सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र, विभाग को दिनांक 31.03.2019 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ –

**(मिर्जा आरिफ रजा)**
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰(II) BCST- व$^{1}$ –4/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰(II) BCST- व$^{1}$ –4/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰(II) BCST- व$^{1}$ –4/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰(II) BCST- व$^{1}$ –4/2011– 1973 /पटना, दिनांक– 21/8/018

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक/उप निदेशक (यो॰)/अवर सचिव/ विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/18
सरकार के उप सचिव
21/8/18